

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली  
पीटासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 100/2017 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00204

अपीलांटगण :-

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :-

1. श्रीमती फूलकंवर पुत्री  
विजयसिंहजी, पत्नी  
भंवरसिंहजी, जाति राजपुत  
निवासी थबुकड़ा, तहसील  
भोपालगढ जिला जोधपुर  
(राज.)
2. श्रीमती छैलकंवर पुत्री  
विजयसिंहजी पत्नी  
उमरावसिंहजी, जाति  
राजपूत, निवासी बिट्टू  
तहसील रोहट, जिला  
पाली (राज.)

1. रतनसिंह पुत्र विजयसिंहजी जाति  
राजपूत निवासी सोनाईमांझी, तहसील  
पाली, जिला पाली (राज.)
2. प्रतापसिंह पुत्र विजयसिंहजी, जाति  
राजपुत निवासी सोनाईमांझी, तहसील  
पाली, जिला पाली (राज.)
3. तहसीलदार महोदय पाली (राज.)



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित उपस्थित  
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना उपस्थित

--: निर्णय :-

दिनांक :- 18-11-21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 459 जो नायब तहसीलदार पाली द्वारा खसरा नम्बर 163 के संबंध में दिनांक 16.05.1989 को स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम के मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा मूल नामान्तरकरण तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के पिताजी विजयसिंहजी का निर्वसीयती देहांत हो चूका है तथा उनके मृत्यु के समय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार अपीलाण्टगण एवं रेस्पोडेन्टगण जीवित थे जो आज भी जीवित है। तथा अपीलाण्ट्स अपने ससुराल में रहती है अतः साल में एक-दो बार ही पिहर आना जाना होता है। ग्राम सोनाईमांझी के खसरा नम्बरान 163 कुल रकबा 46 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमी अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स के पिता विजयसिंहजी के हिस्से की खातेदारी काश्त व कब्जा सुद थी। तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स का विधिक वारिसान के तौर पर बराबर-बराबर हिस्सा है। अपीलाण्ट्स स्व. विजयसिंह की विधिक उत्तराधिकारी है जो पत्रावली संलग्न जनाधार कार्ड की रसीद, पेन कार्ड व राशन कार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है। अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स विजयसिंह की मृत्यु के बाद से संयुक्त रूप से काश्त करते रहे हैं व काश्त की गई है। उपरोक्त खसरा नम्बरान में स्व. विजयसिंहजी का खातेदारी हिस्सा था जिसमें से रेस्पोडेन्ट्स ने उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमी में से अपना आधा हिस्सा करीब 23 बीघा जोरसिंह वगैरा को पंजीबद्ध विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया है। तथा जोरसिंह वगैरा के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 810 स्वीकृत होकर राजस्व रेकॉर्ड में इन्दाज हो चूका है ओर अलग से खाता दर्ज हो चूका है तथा अब वर्तमान में खाता संख्या 368 में खसरा संख्या 163 रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमी केवल अपीलाण्ट्स के हिस्से की खातेदारी रही है। विधिक रूप से फौतेदगी नामान्तरकरण भरा जाते समय रेस्पोडेन्ट्स के साथ अपीलाण्ट्स का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु तत्समय रेस्पोडेन्ट्स ने पटवारी, भू.अ.नि. व तहसीलदार से मिलावट कर अपीलाण्ट्स को अपने हिस्से से महरूम रख केवल अपना नाम दर्ज कराया। अतः जैर अपील नामान्तरकरण निरस्तनीय है। विधिक वारिसान का हिस्सा न तो फौतेदगी म्यूटेशन के जरिये समाप्त किया जा सकता है न ही किसी को विक्रय किया जा सकता है। चूंकि उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपने बनने वाले आधे हिस्से को पूर्व में ही विक्रय कर दिया गया है अतः शेष उपर दर्ज अनुसार जो हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है वह अपीलाण्ट्स है ऐसी स्थिति में उक्त खसरा संख्या 163 के विक्रय किये गये हिस्से बाबत अपीलाण्ट्स का कोई क्लेम नहीं होने से बिना क्रेता को पक्षकार बनाये ही यह अपील पेश की गई है। क्योंकि क्रेता के विरुद्ध अपीलाण्ट्स का कोई अनुतोष नहीं है। उक्त अपील स्व.विजयसिंह के 1/4 हिस्से के संबंध में ही पेश की जा रही है, शेष 3/4 हिस्से के खातेदारान से अपीलाण्ट्स से कोई लेना देना नहीं होने से तथा उनसे किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहने से उन्हें बिना

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमशः.....2

पक्षकार बनाये ही अपील पेश की गई है। जैर अपील नामान्तरकरण अपीलाण्ट्स को बिना नोटिस दिये, अपीलाण्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना विधिक वारिशानों की जांच किये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अपीलाण्ट्स के हक, हकुक व अधिकारों पर भारी कुठाराघात करते हुए पारित किया जाने से प्रथमदृष्टया ही अवैध व शून्यवृत्त होने से अपास्त योग्य है। पिताजी की मृत्यु के पश्चात अपीलाण्ट्स ने अपने सगे भाई रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 पर कभी अविश्वास नहीं किया अतः वो इस मुगालते में रही की पिताजी की मृत्यु के बाद रेस्पोंडेंटस के साथ उनका नाम राजस्व रेकॉर्ड में स्वतः ही दर्ज हो जायेगा। अपीलाण्ट्स जब पीहर आती थी तो हर वर्ष दोनों भाई फसल की उपज का हिस्सा नकद में देते थे परन्तु गत वर्ष हासल नहीं देने पर अपीलाण्ट्स रेस्पोंडेंट संख्या 2 के यहां आई व हासल नहीं देने बाबत ओलबा दिया तथा राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी आदि की नकलें निकलवाकर जानकारों का दिखाने पर जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी हुई। अपीलाण्ट्स ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ व पर्दानसीन महिलाएं हैं व कानून की जानकारी नहीं होने से रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 ने दोनों बहनों को धोखे व अंधेरे में रखकर जैर अपील नामान्तरकरण पारित करवा दिया जिस बाबत जानकारी दिनांक 12.06.2017 को जमाबंदी की नकल मिलने पर अपील प्रस्तुत की गई है अतः अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाते हुए जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाने के आदेश फरमावे।

रेस्पोंडेंटगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित हैं उनके विरुद्ध बहस वकील अपीलाण्ट की सुनी गई। हाजिर अदालत सरकारी पैरोकार ने म्याद के प्रश्न पर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 459 दिनांक 16.5.1989 को पारित किया गया तथा अपील 2017 में पेश की गई जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली में बहस सुनी गई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस अपील में विचारणीय बिन्दु दो हैं :-

1. क्या अपील अन्दर म्याद है ?
2. क्या नामान्तरकरण भरते समय विधिक उत्तराधिकारियों का नाम छोड़ दिया गया ?

अपीलाण्टगण के पिता की खातेदारी भूमि में हक अधिकारों का प्रश्न होने से तथा खातेदार की मृत्यु के पश्चात विधिक उत्तराधिकारीगण के नाम जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज नहीं करने से नामान्तरकरण **ab initio void** होने से म्याद के बिन्दु पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है एवं अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

किसी व्यक्ति के फौत होने पर पुत्र, पुत्रियां, पत्नी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से उनका नाम जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना था विजयसिंह की मृत्यु होने पर उसके जायन्दा पुत्र रतनसिंह व प्रतापसिंह का नाम तो जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज किया गया लेकिन स्व. विजयसिंह की जायन्दा पुत्रिया अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 फूलकंवर व छैलकंवर जीवित थी तथा आज भी जीवित हैं जिनका नाम भी जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना चाहिए था ऐसा नहीं कर अधीनस्थ नायब तहसीलदार, पाली द्वारा नामान्तरकरण पारित कर भारी विधिक त्रुटि की है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि स्व. विजयसिंह के वारिसान की जांच नहीं की गई तथा उनको बिना सुने ही अपनी मर्जी से जैर अपील नामान्तरकरण पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। अपीलाण्ट्स स्व. विजयसिंह की जायन्दा पुत्रियाँ हैं यह पत्रावली संलग्न उनके जनाधार कार्ड की रसीद, पैन कार्ड व राशन कार्ड की प्रति से प्रथमदृष्टया स्पष्ट है। इस प्रकार का जैर अपील नामान्तरकरण **ab initio void** होने से ऐसे प्रारम्भ से शून्य नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना विधिसम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तथा जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 459 दिनांक 16.05.1989 ग्राम सोनाईमांझी जो नायब तहसीलदार, पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे अपास्त किया जाता है। एवं इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्वर्गीय विजयसिंह के विधिक वारिसान की बाद जांच भूमि से सम्बन्धित खातेदारों एवं वारिसानों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक **18-11-24** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

*Ansh*

(अंश दीप)

जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली